कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक का स्थानान्तरण कॉलम संख्या 9 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है:–

S. No.	Emp Code	Emp Name	Post	Subject	Present Posting Place			New Posting Place			Remarks
					Name of School	District	Range	Name of School	District	Range	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RJRA20243 1108707	RAJU KUMARI DAGAR	Senior Teacher	Social Science	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KOOKRA (408153)	RAJSAMAND	UDAIPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TIKELNARUKAN (218859)	JAIPUR	JAIPUR	

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तो के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावें :–

1 उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परिवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

2 राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

3 TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में एवं NTSP से TSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

4 स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है। स्वेच्छा से स्थानान्तरण हुए कार्मिक से कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना है कि मेरा स्थानान्तरण स्वेच्छा से हुआ है एवं मैं इस हेतु नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता की मांग नहीं करूंगा।

5 संबंधित कार्मिकों को आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

6 स्थानान्तरित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वेच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व मण्डल की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ–पत्र लिया जाकर ही वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र–6 जारी कर) की कार्यवाही की जावें।

7 नवीन स्थानान्तरित मण्डल में स्थानान्तरित कार्मिक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का मण्डल परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम–36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

8 माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।

9 स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

10 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में चयनित कार्मिक का स्थानान्तरण यदि अन्यत्र मण्डल के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में होता है, तो उक्त कार्मिक की वरिष्ठता का संधारण कार्मिक के मूल पदस्थापन मण्डल में ही किया जायेगा।

11 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम–144 "क" के तहत प्रतिनियुक्ति/साक्षात्कार/महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति समाप्ति/प्रत्यावर्तन किया जाकर किया गया है। अतः कार्मिक का स्थानान्तरण मूल पदस्थापन मण्डल से अन्यत्र मण्डल में होने पर कार्मिक के मूल पदस्थापन मण्डल से वरिष्ठता का विलोपन किया जाकर स्थानान्तरित मण्डल में राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 के नियम–36 के परन्तुक 07 में अंकितानुसार नवीन मण्डल में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये मण्डल में कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

12 सूची में यदि ऐसे कार्मिक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति हो चुकी है,उनके संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। उक्त कार्मिकों के संबंध में अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करवाएं।

10/7

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/स्थानान्तरण/2026/वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य/224-233 दिनांकः– 10/07/2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत)एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,राजस्थान, जयपुर।

3 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर।

4 निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर।

5 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय को पालनार्थ।

6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

7 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।

8 सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ।

9 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को पालनार्थ।

10 रक्षित पत्रावली।

निदेशक